(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).आज दिनाँक 18.04.2026 को जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता,तहसील सभागार राजापुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3).14 अप्रैल 1944 को मुम्बई बन्दरगाह पर घटित भीषण अग्निकॉण्ड में 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी, उन दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस' एवं उसी दिन से एक सप्ताह तक 'अग्निसुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2020 तक अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस' एवं उसी दिन से एक सप्ताह तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में यदुनाथ सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी चित्रकूट के नेतृत्व में आज दिनांकः 18.04.2026 फायर स्टेशन कर्वी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पवन कुमार त्यागी द्वारा जिला चिकित्सालय कर्वी चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की उपस्थिति में समस्त स्टॉफ को प्रशिक्षित किया व पंपलेट का वितरण किया।प्रभारी अग्निशमन केंद्र राजापुर द्वारा कंचन हॉस्पिटल राजापुर में ड्रिल व प्रशिक्षित किया व पंपलेट वितरण किया।व प्रभारी अग्निशमन केंद्र मऊ द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान होटल साहू कस्बा मऊ व होटल राजेन्द्र निषाद मेंसमस्त स्टॉफ की प्रशिक्षित किया व पंपलेट वितरण किया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 18.04.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 169/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अयूब खान पुत्र ददुल्ला निवासी मुस्लिम पुरवा गढीघाट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5612/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार कटियार तथा उनके हमराहीगण द्वारा रात्रि चेंकिग के दौरान अभियुक्त कपसेन सिंह पुत्र कंचन सिंह निवासी खोपा थाना

सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार कटियार

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

3.आरक्षी चालक विमलेश कुमार

(6).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 18.04.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर न0 55/23 धारा 323,504 भा0द0वि0 के आरोपी 1.जयप्रकाश पुत्र रामभरोसा 2.जमुना वर्मा पुत्र रामभरोसा 3. चुन्नी देवी पत्नी रामभरोसा निवासीगण गोल तालाब थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 600/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे व उनकी टीम ने न्यायालय परिसर कर्वी मे चोरी करने के आरोपी पति पत्नी को चोरी किये गये 05 अदद बण्डल (छोटे व बडे) में एसी मे लगने वाली कॉपर कि मोटी पतली पाइप (कुल वजन 2.60 किग्रा0, कॉपर का वायर बण्डल (कुल वजन 780 ग्राम),एसी में लगने वाला नट फीटिंग पीतल का दो अदद बडा व दो छोटा साइज एवं चोरी में प्रयुक्त प्लास व कटर के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1.राहुल सोनी पुत्र विजय सोनी निवासी बिलबई चिकारा थाना कोतवाली नगर महोबा

2.माही गुप्ता पुत्री मनीष गुप्ता पत्नी राहुल सोनी निवासी खुदागंज तिलहर शाहजहांपुर उ0प्र0 वर्तमान पता जलाराम बिल्डिग रणचोर नगर थाना छीरी जिला वापी गुजरात

बरामदगी-**

05 अदद बण्डल (छोटे व बडे) में एसी मे लगने वाली कॉपर कि मोटी पतली पाइप (कुल वजन 2.60 किग्रा0

कॉपर का वायर बण्डल (कुल वजन 780 ग्राम)

एसी में लगने वाला नट फीटिंग पीतल का दो अदद बडा व दो छोटा साइज

एक प्लास

एक कटर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

मंदाकिनी पुल के आगे नट बाबा के मंदिर के पास कर्वी दि0 18.04.2026 समय-15.00 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 17.04.2026 को वादी श्री राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामधारी यादव निवासी शंकर बाजार कर्वी नहर के पास थाना कोतवाली कर्वी द्वारा थाना कर्वी पर सूचना दी गयी कि दिनांक 16.04.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष व न्यायालय में लगे एसी काम नही कर रहे थे मैकेनिक को दिखाने पर आउट डोर यूनिट को चेक किया गया तो पाया कि उक्त आउट डोर में लगी तार व पाइप काट लिये गये है सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0स0 220/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 18.04.2026 को थाना उ0नि0 रामकुमार दुबे व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मंदाकिनी पुल के आगे नट बाबा के मंदिर के पास कर्वी के पास से अभियुक्त 1.राहुल सोनी पुत्र विजय सोनी निवासी बिलबई चिकारा थाना कोतवाली नगर महोबा 2.माही गुप्ता पुत्री मनीष गुप्ता पत्नी राहुल सोनी निवासी खुदागंज तिलहर शाहजहांपुर उ0प्र0 वर्तमान पता जलाराम बिल्डिग रणचोर नगर थाना छीरी जिला वापी गुजरात को गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ करने दोनो ने एक साथ बताया कि हम दोनो पति पत्नी है और काफी गरीब है पेट पालने के लिये छोटी मोटी चोरी कर लेते है ।हमारे पास झोले में जो सामान है हमने दिनांक 16.04.2026 को कचहरी परिसर में लगे एसी आउटडोर यूनिट को काटकर लिया था। दोनो के कब्जे से 05 अदद बण्डल (छोटे व बडे) में एसी मे लगने वाली कॉपर कि मोटी पतली पाइप (कुल वजन 2.60 किग्रा0, कॉपर का वायर बण्डल (कुल वजन 780 ग्राम),एसी में लगने वाला नट फीटिंग पीतल का दो अदद बडा व दो छोटा साइज,एक प्लास व एक कटर बरामद किया गया ।चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 रामकुमार दुबे

2.का0 आरक्षी प्रताप सिंह

3. महिला आरक्षी आरती मिश्रा